


FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अवलत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बडीसादडी (चिरीइगढ)
शिवलता बनाम नारायण
 किस्म मुकदमा नं. 128 सन् 17/18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13-4-18	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गरीब तहसीलदार बडीसादडी को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि नौजा.....<u>वागेलो का खेडा</u>.....की ग्राम.....<u>शिवलता</u>.....की आन.....<u>शिवलता 0.11 ई.</u>.....की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे।</p> <p>प्रार्थी से कमीशनरी फिस रूपये <u>700/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें।</p> <p>पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी</p> 

उपखण्ड अधिकारी
बडीसादडी